कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय इन्दौर म0प्र0

क्रमांक- पु.उपा./इं/मुख्या/रनि/ 4120 /22 दिनांक- 28 /09/2022

सीमित निविदा विज्ञप्ति

कार्यालय अति0 पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय)/ रीगल चौराहा, रानी सराय नगरीय इंदौर की सम्पूर्ण परिसर (कुल क्षेत्रफल 2455 वर्गमीटर) की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु सक्षम ठेकेदारों से एक वर्ष की अवधि के लिये मासिक आधार पर सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। सीमित निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले सभी प्रतिनिधियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। सीमित निविदा प्रपत्र दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा किया जाए। निर्धारित समय उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

शर्तें:-

1. सीमित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06/10/2022 समय 16:00 बजे तक है। (कार्लयीन समय में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर)
2. सीमित निविदा प्रस्तुत हेतु तीन से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त करना आवश्यक है।
3. निविदा में प्रस्तुत अनुमानित राशि में जीएसटी सम्मिलित है।
4. सीमित निविदा खोलने की अंतिम तिथि 07/10/2022 को सायं 4.00 बजे
5. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि को निविदाकर्ता के समक्ष खोली जाएगी। अतः निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।
6. निविदा सीलबंद लिफाफे में कार्यालय रक्षित निरीक्षक, रक्षित केन्द्र इंदौर में निविदा जारी होने के दिनांक से अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय 10.00 से 17.00 बजे तक प्रस्तुत करें एवं लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में सीमित निविदा अवश्य लिखें।
7. **निविदा** की दरें निविदा खोलनें की दिनांक से 90 दिवस तक वैध रहेंगी।
8. प्रदाय अवधि का विस्तार एक बार ही किया जाएगा जो अधिकतम 07 दिवस होगी। यदि निर्धारित कार्य अवधि/विस्तारित अवधि में भी अपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो शेष कार्य का क्रयादेश निरस्त माना जाएगा। कायदिश के भुगतान में से अप्रदायित कार्य के मूल्य की 02 प्रतिशत पेनल्टी कार्य की देयक से काटी जाएगी।
9. निविदाकर्ता का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
10. देयक 03 प्रतियों में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय इंदौर के नाम से भेजा जावें।
11. देयक की राशि का भुगतान हेतु फर्म का खाताधारक का नाम, खाता कमांक, बैंक का नाम,आईएफएससी कोड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जावें।
12. विभाग द्वारा किसी प्रकार का वहन नहीं किया जाएगा।
13. कार्य देयकों का भुगतान म.प्र. शासन आदेश के अंतर्गत किया जाएगा। जीएसटी की राशि निविदा मूल्य में शामिल रहेगी अतः बिलों की जीएसटी जमा कर जमा पर्ची कार्यालय को उपलब्ध करायें।
14. किसी भी समय शर्तो में संशोधन करने अथवा निविदा निरस्त करने अथवा कायदिश निरस्त करने का अधिकार पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय इंदौर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का संशय/विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय इंदौर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) नगरीय इन्दौर